"भारत गौरव" अभियान

☐ राजनैतिक ☐ प्रशासनिक ☐ सामाजिक सुधार के लिये समर्पित

अनिल झालानी
101, "देवप्रस्थ", पावर हाउस रोड़,
रतलाम (म.प्र.) 457001
☎ : 07412 (O)270216, (R)270217
मो. 9300223310

दिनांक 25/07/05

प्रति,

महोदय,

राजनैतिक क्षेत्र में महिला आरक्षण विधेयक के बारे में बहस चल रही है तथा यदा कदा इसे साकार रूप देने की चर्चा जोर करती है । ऐसा न हो कि इस मुद्दे के गुण दोषों पर गंभीरता से पूर्व अध्ययन / परीक्षण न करते इस आंधी के महौल में यह कानून का रूप धारण कर लें ।

अभी तक जहाँ जहाँ महिला आरक्षण हुआ है उसके प्रकाश में प्रत्येक राजनेता / राजनीतिज्ञ दबे स्वर में यह स्वीकार करता है कि "आरक्षक से वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है और इसके उद्देश्य की तात्विक रूप से पूर्ति हो रही है दूसरे शब्दो में यह मानना होगा कि यह केवल दिखावा ओर संतुष्टि का प्रतीक बनकर रहा गया है । आरक्षण का सीधा तात्पर्य यह हे कि महिलाओं को सशक्त एवं सक्षम बनाया जावें । इस प्रयोजन के लिये राजनीति में महिलाओं को आगे लाना एक विकल्प हो सकता है ।

वर्तमान प्रावधानों द्वारा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण के परिणाम वास्तव रूप से पात्र महिलाओं को बजाय आरक्षण सीमा की पूर्ति हेतु ऐसी महिलाऐं थोपी जावेगी जो कठपुतली बनकर रहेगी । ऐसी अधिकांश अनुभवहीन महिलाओं जिन्हे राजनैतिक ज्ञान नगण्य है स्वयं स्वस्थरूप से अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से निर्वहन करने की आशा नहीं की जा सकती है वहीं वक्त आने पर उनकी अनअपेक्षित मांगे भी स्वीकार करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा । परिणामस्वरूप अनुमानत: २५ प्रतिशत राजनीति अपरिपक्वों के हाथ में चली जावेगी व शनेःशनेः प्रशासनिक पकड़ शिथिल हो जावेगी ।

आरक्षण नीति के कारण राजनैतिक पार्टियों को भी निराशाजनक परिणाम लक्षित हुवे है इससे पार्टियों की सशक्तता पर अप्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ा है यह भी मानना होगा । इन सभी प्रकार के संभावित निराशाजनक परिणामों के प्रकाश में ऐसे कई प्रकार के फार्मुलों पर गंभीरता से विचार कर उन्हे राष्ट्र हित में अंगीकृत किया जा सकता है ।

महिलाओं को राजनैतिक दल स्वभाविक रूप से राजनीति में भाग लेने देवें । इसके लिये यह देखना होगा कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में विजयी होने की संभावना वाली सक्रिय योग्य, परिचित कार्य करने का पिपासा जिसमें ऐसी सेवाभावी महिला तथा उक्त क्षेत्र के मतदाताओं का भी समर्थन के मतदाताओं का भी समर्थन हो ऐसी महिला को उम्मीदवार बनाते है तो वह स्वागत योग्य होकर पार्टी हित में होगा ।

चूंकि हमें ३३ प्रतिशत महिलाओं की विभिन्न सदनों में सदस्य की हैसियत से चाहिये तो प्रथम ऐसी अनुभवी महिलाऐं जो वर्षो से राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन में सदैव सक्रिय रही है उसे उम्मीदवार के रूप में अवसर दिया जाना चाहिये - चाहे वह किसी भी पार्टी, धर्म, जाति, सम्प्रदाय या क्षेत्र की हो ।

अनिल झालानी
101, "देवप्रस्थ", पावर हाउस रोड़,
रतलाम (म.प्र.) 457001
☎ : 07412 (O)270216, (R)270217
मो. 9300223310

निश्चित ही महिलाओं को सदन में समुचित स्थान देने के पक्ष में सर्वानुमति है परन्तु उसको राजनैतिक रूप से परिपक्व करने की स्वभाविक प्रक्रिया का पालन करवाया जाये न कि आकस्मिक आरक्षण थोंप कर

जब उपरोक्त सुझाव का पालन होगा तो इस अवधि में सभी राजनैतिक दल के साथ साथ मतदाताओं में भी शनैः शनैः राजनीति में महिलाओं को स्थान देने का वातावरण स्वतः निर्मित होगा तथा इस हेतु आवश्यक जागरूकता समय के साथ साथ बनती जाएगी और इसमें किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

यह भी उल्लेखनीय होगा कि भारत में तिव्र सामाजिक उत्थान के चालते आगामी समय में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत भी बढ़ेगा और सभी क्षेत्रो में उनकी सक्रिय भागीदारी में वृद्धि अवश्यंभावी है ।

आवश्यकता है इस बात की है कि कोई भी विषय समय के आने के पूर्व ही अपरिपक्व अवस्था में बारे में जोर जबरदस्ती द्वारा निर्णय लेने की बजाए कुछ और समय थोड़ी प्रतिक्षा कर उसे परिपूर्ण अवस्था तक पहुंचाकर आत्मसात किया जावें ।

भवदीय

(अनिल झालानी)

(लेखक द्वारा महिला आरक्षण विधेयक कर अध्ययन समूह संचालित है)

"भारत गौरव" अभियान

☐ राजनैतिक ☐ प्रशासनिक ☐ सामाजिक सुधार के लिये समर्पित

अनिल झालानी
101, "देवप्रस्थ", पावर हाउस रोड,
रतलाम (म.प्र.) 457001
☎ : 07412 (O)270216, (R)270217
मो. 9300223310

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]

प्रति,

दिनांक 17.08.05

महोदय,

महिला आरक्षण का मुद्दा पिछ्ले १० वर्षो से राजनैतिक क्षितिज पर छाया हुआ है । किंतु खेद का विषय यह है कि इन १० वर्षो में किसी भी राजनैतिक दल ने महिलाओ को आगे बढाने के लिये कोई भी ठोस कदम नही उठाया । यहां तक की अपने अपने दलों में विभिन्न पदो पर भी उनकी आनुपातिक नियुक्तिया नही की जिससे से कि उनकी महिलाओं को उचित समान अवसर देने की मंशा सिद्ध हो सके ।

यदि राजनैतिक दल चाहते तो लोकसभा, विधानसभा के चुनावों में अधिकाधिक सीटें अपने दल की महिला राजनैतिज्ञो को देकर अपनी इमानदारी प्रदर्शित कर सकते थे, वह भी नहीं किया ।

परिणाम विपरीत दिशा में जा रहे है । १०वी लोकसभा में ७.५ प्रतिशत महिलाऐं जीती थी । ११वीं लोकसभा में ७.२ प्रतिशत महिलाऐं जीती । १२वीं लोकसभा में ७.९ प्रतिशत महिलाऐं सदस्य बनी, १३वीं लोकसभा में ८.९० प्रतिशत ने प्रतिनिधित्व किया । इस प्रकार आज तक की सभी लोकसभा में विजयी महिलाओं का औसत प्रतिशत ६.३ रहा है । इससे सीधे ३३ प्रतिशत तक पहुंचाना प्राकृतिक वृद्धि के सिद्धान्तो के प्रतिकूल रहेगा ।

अत: महिलाओं को ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व की बात की जावे तो जितना वक्त चर्चा में लगाया यदि उसी समय १३ प्रतिशत आरंक्षण कर दिया जाता और प्रत्येक अगली लोकसभा में ५-५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व बढाया जाता तो चरण दर चरण अभी तक २३ प्रतिशत तक आरंक्षण तो पहुच चुका होता । यह नीति आज भी लागू की जा सकती है , और ३३ प्रतिशत के स्थान पर तत्काल अगली लोकसभा में १३ प्रतिशत आरंक्षण किया जा सकता है बाद में यह नियम बनया जा सकता है कि प्रत्येक आगामी चुनावी में ५ प्रतिशत महिलाओं के स्थान बढा दिये जावेगे तो अगले १०-१२ सालों में शनेः शनेः आरक्षण ३३ प्रतिशत तक पहुच जावेगा । इसमे किसी भी दल को न तो खतरा और ना ही आपत्ति होगी ।

निरंतर.........२

अनिल झालानी
101, "देवप्रस्थ", पावर हाउस रोड,
रतलाम (म.प्र.) 457001
☎ : 07412 (O)270216, (R)270217
मो. 9300223310

इस संबंध में महिलाओं के आरक्षण को अधिक सार्थक स्वरूप दिया जाता है तथा योग्य जनप्रतिनिधि चाहिये तो ऐसी महिलाओं को आरक्षण का लाभ देते हुए निम्न विकल्पो पर भी विचार किया जा सकता है -

प्रस्ताव क्रमांक १- जिस किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कुल ऐसी महिलाओं की वह संख्या जिन्होने अपने मत का प्रयोग नही किया हे उस संख्या का ५० प्रतिशत संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की प्रत्याशी महिला उम्मीद्वार को उसके द्वारा प्राप्त मतों में जोड़ दिया जावें । इस प्रक्रिया में यदि महिला प्रत्याशी या अन्य प्रत्याशियों से बढ़त लेती है तो ऐसी महिला को विजयी घोषित करने की पात्रता अर्जित कर दी जावें । वास्तव में यह विकल्प आरक्षण का सही स्वरूप होगा । अथ्रात जिस महिला ने अन्य प्रत्याशियों की तुलना में उतने मत पर्याप्त संख्या में अर्जित कर लिये है । उन्हे सही अर्थो में ग्रेस अंक (अतिरिक्त काल्पनिक मत) जोड़कर निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिये ।

यह विकल्प अंगीकार किया जाता है तो निश्चित रूप से अधिक तर्कसंगत, व्यवहारिक वास्तविक व उद्देश्य पूण्र होगा । जबकि वर्तमान प्रचलित संपूर्ण प्रक्रिया में एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में दो अनुभवहीन महिलाओं में से किसी एक को चुनने हेतु मतदाताओं को मजबूर होना पढ़ता है ।

वास्तव में इस वर्तमान प्रचलित दोषपूर्ण प्रक्रिया में योग्य एवं पात्र प्रत्याशियों का चयन न होकर राजनीतिक दल विशेष के प्रयास व प्रभाव का सही रूप में चयन होता है ।

प्रस्ताव क्रं. २ एक यह भी प्रयास सार्थक सिद्ध हो सकेगा - यदि ३३ प्रतिशत महिलाओं को आरक्षित निर्वाचन केन्द्रो से चयन के बजाय संपूर्ण देश के सभी निर्वाचित क्षेत्रो से चुनाव लड़ रही उन ३३ प्रतिशत महिलाओं का चयन कर लिया जावें, जिन्होने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रा में अनुपातिक रूप से अधिक मतों को प्राप्त किया है । अर्थात उस निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रही ३३ प्रतिशत महिलाओं को चुन लिया जावें । यदि सदन में ३३ प्रतिशत महिलाओं को बिठाना अनिवार्य है तो अधिकतम प्रात्र महिलाओं को विजयी घोषित किया जावें । क्योंकि वह महिला प्रत्याशी खुले मैदान में स्वयं को शक्ति व प्रयासों से चुनाव लड़कर मैदान में उतरी है एवं वह महिला सही रूप में अपेक्षाकृत अधिक स्वीकार्य जन नैत्री की श्रेणी में आती है ।

इस कानूनी अमली-जामा पहनाने के लिये समस्या का हल करने हेतु सानुरोध निवेदन है कि उक्त प्रस्तावों का परीक्षण कराते हुए युक्तियुक्त निर्णय लेने का कृपया कष्ट करें ।

(अनिल झालानी)